

उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान व्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002
ई मेल:- ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

स: राज/भील/336/क्वार्ट्ज़-फेल्सपार-144

अजमेर दिनांक 5/9/2013

प्रेषित श्री जय किशन बलदुवा
गोविंद भवन, प्रताप नगर
पोस्ट- ब्यावर
जिला- अजमेर -राज 305901

विषय: राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले मे स्थित आपकी Shambhugarh (17/2001) क्वार्ट्ज़ फेल्सपार खान 5.00 हेक्टर मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या 22RAJ06175)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 29/8/2013 को आपके प्रतिनिधि श्री नरेश बलदुवा की उपस्थिती मे उपरोक्त खान के निरीक्षण मे पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 संशोधित 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

नियम

उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यौरा

13(1) The mining operations in the leasehold area have not been carried out in accordance with the approved scheme of mining dated 26/7/2011 to the extent given below.

aThe waste material generated during the year 2011-12 & 2012-13 was not dumped at earmarked location near boundary pillar D of lease area as shown in plate no -6. Waste is found dumped here and there in unscientific way.

b) As per para 10 (4) of approved scheme of mining , it was proposed to plants 50 saplings each year but the same has not been implemented.

c) Lease boundary pillar as per lease area description report and approved scheme plate are not found reerected on ground.

45(5)(A) Monthly return for the mines from April 2013 have not been submitted.

45(5)(B) Annual return of the Mines for the year 2011-12 and 2012-13 have not been submitted to the office of Regional Controller of Mines , Ajmer before 1st July in prescribed format inspite of issue of notice vide this office letter dated 26/7/2013

02. इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) and 45 (7)(1) के अंतर्गत (क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03.अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(बाबुलाल गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान व्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान व्यूरो, अजमेर।
- 2) खनि अभियन्ता,, भीलवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

(बाबुलाल गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक